

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पोटासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 154/2019 (Bank Case)

एस.बी.आई. सार्व जरिये अधिकृत अधिकारी, जवाहर नगर, जयपुर, राज0

- प्रार्थी

बनाम

1. श्री मैसर्स कृष्णा ऑयल, जरिये प्रो0 श्री चित्रेश अग्रवाल पुत्र श्री शंकरलाल अग्रवाल (ऋणी / बंधककर्ता)
पता-एफ 375(11) आई.पो.आई.ए. रोड नम्बर 7, कोटा राज0
2. श्री पंकज अग्रवाल पुत्र श्री नौरतमल अग्रवाल
3. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री नौरतमल अग्रवाल
पता-प्लॉट नं0 18, 19, मारुति कोलोनी, पंकज होटल के पीछे, नयापुरा, कोटा, राजस्थान।

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002
श्री बी0पी0दाधीच, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 17.12.2019


संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि एस.बी.आई. सार्व जरिये अधिकृत अधिकारी, जवाहर नगर, जयपुर, राज0 में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 20.11.2017 को क्रमशः रुपये 1,00,00,000/- (अक्षरे: रुपये एक करोड़ मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में चल सम्पत्ति मैसर्स कृष्णा ऑयल का स्टॉक, कच्चा माल, निर्माणाधीन माल और निर्मित माल एवं ऑयल आदि जो फैक्ट्री एरिया में गोडाउन व गोदाम में मौजूद है, जिनका वर्णन बुक्स में हैं, तथा फर्म के स्टोर वा स्पेयर्स व चालू सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 19.04.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों में 1,05,99,514.56 /-(अक्षरे एक करोड़ पांच लाख निन्यानवे हजार पांच सौ चौदह रुपये छप्पन पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 20.05.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 28.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 को धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के

पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 28.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 28.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता चल सम्पत्ति मैसर्स कृष्णा ऑयल का स्टॉक, कच्चा माल, निर्माणाधीन माल और निर्मित माल एवं ऑयल आदि जो फैक्ट्री एरिया में गोडाउन व गोदाम में मौजूद है, जिनका वर्णन बुक्स में हैं, तथा फर्म के स्टोर वा स्पेयर्स व चालू सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को सुनाया गया ।



(आम कर्सेरा)

जिला मजिस्ट्रेट

कोटा